भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3196

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

.....

ओडिशा में सिंचाई परियोजनाएं

3196. श्री सुरेश पुजारी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में सरकार द्वारा वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं का मद-वार ब्यौरा क्या है और परियोजना लागत, पूरा होने की समय-सीमा और वर्तमान स्थिति और कार्य की प्रगति क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या ओडिशा सरकार द्वारा बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिले से संबंधित परियोजना प्रस्ताव हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(घ) क्या मंत्रालय के पास बारगढ़ और झारसुगुडा जिलों में विशेषकर बारगढ़ के सूखा प्रवण पदमपुर सब-डिविजन में ऐसी व्यवहार्य परियोजनाओं को भेजने के लिए ओडिशा सरकार से कहने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) योजना के शुभारंभ के साथ, इसके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए 99 प्राथमिकृत वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया था। इनमें से 8 परियोजनाएं ओडिशा राज्य की थीं। उनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	सिंचाई परियोजना का नाम	परियोजना लागत करोड़ रूपए	वर्तमान स्थिति	पूर्ण होने का वर्ष/लक्ष्य	समग्र भौतिक प्रगति % में
1	तेलेंगिरी	932.96	पूर्ण		100

				2020	
2	रुकुरा	240.22		2019	100
3	ऊपरी इंद्रावती	544.58		2018	100
4	निचली इंद्र	1,595.35		2021	100
5	रेट	707.64		2019	100
6	कनुपुर	2,301.88	चल रही	2023	81
7	एकीकृत आनंदपुर बैराज	2,864.36		2024	66
8	सुवर्णरेखा	4,455.68		2024	92

(ख) और (ग): ओडिशा सरकार ने एआईबीपी के तहत रेंगाली सिंचाई परियोजना (दायां तट नहर प्रणाली), देव सिंचाई परियोजना और निचली सुकटेल सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करना प्रस्तावित किया है। हालांकि, इस समय, इनमें से कोई भी परियोजना योजना के मानदंडों के अनुसार एआईबीपी के तहत शामिल करने की दृष्टि से तैयार नहीं है। इसके अलावा, तीन परियोजनाओं में से कोई भी बरगढ़ या झारसुगुडा जिलों से संबंधित नहीं है।

पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) घटक के तहत, ओडिशा सरकार ने 236 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली 53 परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसकी जांच की गई है और प्रस्ताव में कमियों से ओडिशा सरकार को अवगत करा दिया गया है। हालांकि, इनमें से कोई भी परियोजना बरगढ़ या झारसुगुडा जिलों के लाभार्थ नहीं हैं।

साथ ही, पीमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के घटक की मरम्मत, नवीनकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) के तहत, वित्तीय सहायता के लिए ओडिशा द्वारा 574 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से 31 परियोजनाएं बरगढ़ जिले से संबंधित हैं, और 11 झारसुगुडा जिले से संबंधित हैं।

(घ): जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मौजूदा योजनाओं के तहत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय नदी प्रणालियों पर मध्यम/वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाना है।

*****